



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 फरवरी, 2021

माघ 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या 291/46-3-21-3(48)/98-99

लखनऊ, 15 फरवरी, 2021

विज्ञप्ति

प०आ०-78

पेराई सत्र 2020-21 के लिए श्री राज्यपाल, प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का "राज्य परामर्शित मूल्य" निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1.	अगैती प्रजातियों के लिए	रु० 325 प्रति कुन्तल
2.	सामान्य प्रजातियों के लिए	रु० 315 प्रति कुन्तल
3.	अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए	रु० 310 प्रति कुन्तल

2. पेराई सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का "राज्य परामर्शित मूल्य (एस०ए०पी०)" के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एक मुश्त किया जायेगा।

3. पेराई सत्र 2020-21 के लिए चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली दुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति कि०मी०, अधिकतम रु० 8.35 प्रति कुन्तल होगी, जिसके अनुसार बाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ना का मूल्य तदनुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 815 राजपत्र-2021-(1717)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० चीनी उद्योग-2021-(1718)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।